न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2019-00273Ju2019-135 Khushalaram vs Madu Devi etc

खुशालाराम गोदपुत्र हुक्माराम जाति जाट, निवासी- मूलाराम जी के बेरे के पास पण्डितों का बास, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. श्रीमती माडूदेवी पत्नी स्व. हुक्माराम जाट, निवासी- ग्राम पण्डितो का बास, बारनाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
02. श्रीमती मोहनी देवी पुत्री हुक्माराम पत्नी विशनाराम गोदारा, जाति जाट, निवासी- ग्राम (श्रीरामनगर) खाबड़ा खुर्द तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधनपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर दिनांक 28 अगस्त 2019 राजस्व विविध पार्थना पत्र संख्या 04/2011 माडुदेवी व अन्य बनाम खुशालाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 09 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 04/2011 माडुदेवी व अन्य बनाम खुशालाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 03 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1668 रकबा 105.04 बीघा, खसरा नं. 2172 रकबा 01.09 बीघा, खसरा नं. 2173 रकबा 12.18 बीघा, खसरा नं. 2218 रकबा 02.05 बीघा, खसरा नं. 2227 रकबा 02.08 बीघा, खसरा नं. 2228 रकबा 17.06 बीघा, खसरा नं. 2285 रकबा 124.10 बीघा, खसरा नं. 2291 रकबा 84.10 बीघा, खसरा नं. 2174 रकबा 26.04 बीघा, खसरा नं. 2286 रकबा 40.18 बीघा ग्राम प्रहलादपुरा एवं खसरा नं. 110 रकबा 22.15 बीघा ग्राम गोदेलाई के संबंध में अपीलांट के विरुद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 अगस्त 2019 के जरिये स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आदेश 09 नियम 04 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेत विचाराधीन था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पहले आदेश 09 नियम 04 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुन कर विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी

अनुसार रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के पश्चात ही मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर विधि अनुसार आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिज है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 अगस्त 2019 को अपास्त फरमावें तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2012 को प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को रेस्टोर करवाने बाबत दिनांक 15.06.2012 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अप्रार्थी को दिलाई गई। तत्पश्चात पत्रावली उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु विचाराधीन चल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को नंबर पर लिये बिना ही स्वीकार कर अपीलांट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना पाया जाता है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में विधि की विहित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 अगस्त 2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर प्रकरण को पुनः नंबर पर लेकर उभय पक्ष की समुचित सुनवाई का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दो माह की अवधि में निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.12.2020

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर